Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने हेतु परियोजना एवं लाभ

डॉ0 रवीन्द्र कुमार झा[1]

[1]*Usha Sadan, New Balbhadrapur, Laheria-Sarai, Darbhanga (Bihar)*

अनौपचारिक ऋण प्रणाली के लचीलेपन सुग्राहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकि क्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करने और ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताएँ लाने की दृष्टि से "नाबार्ड" ने फरवरी 1992 में स्वयं सहायता सहूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिये पायलट परियोजना शुरू की थी। बाद में सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया। 1997 में इस कार्यक्रम का दौर समाप्त हो गया। तत्पश्चात् विस्तार के दौरे के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह सम्बद्धता कार्यक्रम को लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 1996 के अपनी परिपत्र के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिये ऋण को बैंकों का सामान्य ऋण वितरण कार्यकलाप के रूप में "प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों" के तहत शामिल कर लिया है।

उद्देश्य

सम्बद्धता परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिये पूरक ऋण नीतियों का विकास करना।
2. बैंकरों एवं ग्रामीण गरीब जनता के बीच परस्पर विश्वास व भरोसा पैदा करना।
3. ग्रामीण गरीब जनता में बचत व ऋण दोनों तरह के बैंकिंग कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना।

बैंको द्वारा सम्बद्धता कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन मॉडल उभरकर सामने आये हैं।

मॉडल-1

औपचारिक या अनौपचारिक अस्तित्व रखने वाले समूह को बैंक थोक में ऋण प्रदान कर सकते हैं समूह फिर अपने सदस्यों को, उनमें आपसी सहमति से तय की गई शर्तो पर ऋण वितरित कर सकते हैं। समूह को दिये गये ऋण की मात्र समूह द्वारा जुटाई गई बचतों की

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

राशि के अनुपात में होनी चाहिये और बचत ऋण अनुपात 1:1 से 1:4 के बीच कुछ भी रखा जा सकता है।

मॉडल-2

बैंक स्वयं सहायता समूहों को उस गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से वित्त दे सकते हैं, जिसने समूह को संबंधित किया है, बशर्ते गैर-सरकारी संगठन को थोक वित्त प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। कुछ समय बाद स्वयं सहायता समूह ही बैंको से सम्बद्ध किये जा सकते हैं।

मॉडल-3

ऐसे मामलों में जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को ऋण की जरूरत बचत ऋण अनुपात से अधिक हो जाती है; समुह सदस्य विशेष को सीधे ही ऋण देने का प्रस्ताव को बैंक से संस्तुति कर सकता है। तथापि स्वयं सहायता समूह को उस ऋण के समुचित उपयोग एवं उसकी समय पर चुकौती के लिये जिम्मेदारी लेने के लिये सहमत होना चाहिए।

प्रतिभूति- चूँकि स्वयं सहायता समूह ऋणों के लिये बैंकों को कई समपाश्विक प्रतिभूति देने की स्थिति में नहीं रहते, इसलिये ऋण वितरण के मानदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक ने छुट दिया है। समूह की बैंको में जमा सामूहिक बचत की राशियों को समपाश्विक प्रतिभूति के विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

प्रलेखीकरण-सम्बद्धता कार्यक्रम की भावना व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंको से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं सहायता समूहों से निष्पादित कराये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या न्यूनतम एवं सरल रखें।

चुकौती अवधि-बैंक समूहों के परामर्श से समुचित चुकौती अवधि निर्धारित करेंगे। बैंकों से स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋण को स्थानीय परिस्थितियों, कार्यकलापों आदि का विचार करते हुए, सामान्यतः नियमित किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।

ब्याज की दर-विभिन्न स्तरों पर ब्याज की वर्तमान में प्रयोज्य दर निम्नलिखित हैं-

बैंक से स्वयं सहायता समूह-12 प्रतिशत (ऋण की राशि जो हो) बैंक से स्वेच्छिक एजेंसी/गैर सरकारी संगठन-10 प्रतिशत प्रतिवर्ष स्वैच्छिक एजेन्सी/ गैर सरकारी संगठन से स्वयं

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

सहायता समूह.....12 प्रतिशत प्रतिवर्ष/ स्वयं सहायता समूह से सदस्यों को: जो दर स्वयं सहायता समूह निश्चित करें किन्तु यह दर बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये।

राष्ट्रीय बैंकों से सहायता

1. बैंकों के द्वारा स्वयं सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेन्सियों को दिये गये ऋणों के लिए नावार्ड 6.5 प्रतिशत की दर (ऋण की राशि चाहे कुछ भी हो) से 100 प्रतिशत पुनर्वित्तीय प्रदान करता है।
2. नाबार्ड सहभागी बैंकों के शाखा प्रबन्धकों, फिल्ड अफसरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक्सपोजर-कम-अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करता है।
3. नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं बुक-कीपिंग व लेखा-बही प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करता है।
4. नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को समग्र मार्ग प्रदर्शन करता है और उनका अनुप्रवर्तन करता है।

लाभ

1. ऋण वितरण से संबंधित बैंक के कार्यो के एक हिस्से का बाह्यकरण हो जाता है, जैसे- ऋण जरूरतों का निर्धारण, मूल्यांकन, संवितरण, पर्यवेक्षण, चुकौती आदि।
2. किये जाने वाले औपचारिक पेपर वर्क में कमी और इसके फलस्वरूप बैंकों के वयावसायिक लागत में कमी।
3. वसूलियों एवं मार्जिनों में सुधार।
4. बैंकों के पास लघु बचतों का बड़े पैमाने में संग्रहण।
5. स्वयं सहायता समूहों की बड़े पैमाने में संसाधनों तक पहुँच।
6. बैंकिग सेक्टर का विभिन्न योजनाओं तक स्वयं सहायता समूहों की पहुँच।19

वर्ष 1998-99 में आई. आर.डी.पी. के तहत पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से बैंकों द्वारा 1700.00 लाख रूपये का ऋण वितरित किया जाना था। परन्तु उस वर्ष जिले में बैंकों ने कुछ 1448.42 लाख रूपये वितरित कर यह कहा कि लक्ष्य का 71 प्रतिशत हासिल कर लिया गया। इस मामले में लक्ष्य के हिसाब से ऋण वितरण में 29

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

प्रतिशत की कमी आयी। परन्तु बाद के वर्षो में तो गिरावट की यह दर लगातार बढ़ने लगी जो आज तक जारी है।

पुनः वित्तीय वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में साख सृजन हेतु "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" का आरम्भ हुआ। इस योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा डी.आर.डी.ए. को दिया गया। प्रथम वर्ष में ही पटना जिले में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के विषय में डी.आर.डी.ए. को असफलता इस प्रकार हाथ लगी कि लक्ष्य का मात्र 46 प्रतिशत ही हासिल हो सका। जैसे उक्त वर्ष 2308.50 लाख रूपये ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु मात्र 820.12 लाख रूपये की वितरित हो सके। इस प्रकार 1488.38 लाख रूपये लक्ष्य के हिसाब से वितरित हो सके। पूर्व वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ऋण वितरित नहीं होने का दर 29 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत पर आ गयी। इस प्राकर कहा जा सकता है कि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से संचालित विकास कार्यों की उपलब्धि मात्र 34 प्रतिशत ही रही। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में केवल पटना जिला में 2997.38 लाख रूपये का ऋण वितरित करना था। परन्तु मात्र 1024.77 लाख रूपये का ऋण ही वितरित हो सका। जब एक जिला की स्थिति यह रही तो सम्पूर्ण बिहार राज्य की स्थिति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि क्या होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन वर्षों में ग्रामीण विकास की उपलब्धि 71 प्रतिशत से गिरकर 34 प्रतिशत पर आ गयी है।20

संदर्भ ग्रन्थ

1. मेमोरिया, चतुर्भुज एवं एस.सी. जैन, (2002), भारत में आर्थिक नियोजन एवं विकास, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, पृ. 261-63.
2. सेन, अमर्त्य (2003) "भारत में विकास की स्थिति" हिन्दुस्तान अगस्त 28, पृष्ठ-8.
3. अब्दुल कलाम, ए.पी.जे. (2003), "ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों की भूमिका", हिन्दुस्तान अगस्त 28, पृष्ठ-9.
4. वर्मा, पी.सी. (2003), बिहार की अर्थव्यवस्था, टी.यू.पी. प्रकाशन, पटना-पृष्ठ-193.
5. जिला ग्रामीण विकास अधिकरण एवं संयुक्त बैंकर्स समिति (1999). स्वयं सहायता समूह: एक परिचय, चम्पारण, मोतिहारी, पृष्ठ-3.

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.